



**क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल**  
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली की इकाई  
नया पी.पी.ओ. नं. ....  
**पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र**  
**जीवन प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर (पेंशनर का नाम)..... पिता/पति का नाम.....  
..... जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या..... का धारक है, देखा है एवं वह इस तारीख को जीवित है।

स्थान .....  
दिनांक: .....  
हस्ताक्षर पेंशनर .....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मुहर के

**नियोजित होने / नहीं होने का प्रमाण-पत्र**

- (क) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने केन्द्र / राज्य सरकार के किसी विभाग में या केन्द्र / राज्य सरकार की किसी कम्पनी, निगम, उपक्रम, स्वशासी निकाय, कानूनी निकाय, स्थानीय निकाय, सहकारी समिति या किसी संस्था में किसी भी रूप में कार्यरत नहीं रहा / रही हूँ।
- (ख) मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने स्वीकृति प्राप्त करने के बाद नियोजन स्वीकार किया है तथा परिलब्धियां रूपये प्राप्त हुई है।

स्थान... .....  
दिनांक: .....

हस्ताक्षर पेंशनर

**पुनर्विवाह / विवाह न करने का प्रमाण-पत्र**

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने गत छह माह में विवाह नहीं किया है / मेरा विवाह नहीं हुआ है।  
या  
मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है ऐसी घटना की सूचना देने लिए मैं प्रतिवचन देता / देती हूँ।

स्थान: .....  
दिनांक: .....

हस्ताक्षर पेंशनर

मैं, मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के आधार पर उक्त घोषणा को सही होने के रूप में प्रमाणित करता/करती हूँ।

स्थान: .....  
दिनांक: .....

उत्तरदायी अधिकारी या सुविधित व्यक्ति के हस्ताक्षर  
नाम: .....  
पद.. .....

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| पेंशनर का नाम .....             | दम्पति का नाम .....             |
| पेंशनर का पता .....             | दम्पति का पता .....             |
| पेंशनर का मोबाइल नं. ....       | दम्पति का मोबाइल नं. ....       |
| पेंशनर का ईमेल .....            | दम्पति का ईमेल .....            |
| पेंशनर का आधार संख्या.....      | दम्पति का आधार संख्या.....      |
| पेंशनर का पेन कार्ड संख्या..... | दम्पति का पेन कार्ड संख्या..... |

- नोट:** 1. कृपया पेंशनर व दम्पति के आधार व पेन कार्ड की प्रति अवश्य संलग्न करें।  
2. कृपया पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर 25 नवम्बर, 2025 तक जीवित प्रमाण पत्र संस्थापन शाखा में जमा कराये अन्यथा नियमानुसार देय पेंशन रोकने संबंधी कार्यवारी कार्यालय द्वारा की जायेगी।